उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांकः 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 16/10/2017

RBE No.109/2017
NCR PS No.5158/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Implementation of the recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government-Abolition of Allowances

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)I-2017/VII CPC/AL-1p dated 30.08.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

16.X.17
(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामन्त्री ए.न. सी. आर पी. ओ. ए.
8. महामन्त्री एस.सी/एस.टी. अधि/कर्म.
9. महामन्त्री ओ. बी. सी. अधि/कर्म.

51

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 47
RBE No. 103/2017
New Delhi, dated 30.08.2017.

No. E(P&A)I-2017/VII CPC/AL-1

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
NCR, Allahabad

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Abolition of Allowances.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide to abolish the following allowances with effect from 1st July, 2017:

(i) Accounts Stock Verifiers (ASV) Allowance (incentive to Accounts Stock Verifiers on passing Appendix IV-A (IREM) Examination);
(ii) Commercial Allowance (special allowance to announcers – ECRCs/Comml. Clerks/TCs/ASMs/SMs);
(iii) Flying Squad Allowance (special allowance to CTIs/TTEs working in HQ Flying Squad);
(iv) Night Patrolling Allowance to Trackmen;
(v) Rajdhani Allowance (special allowance to Train Supdts./Dy. Train Supdts./Stewards (Dy. Train Supdts) of Rajdhani Trains); and
(vi) Vigilance Allowance (special allowance to Vigilance Inspectors working in Zonal Railways/Production Units).

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/VII CPC/AL-1

New Delhi, dated 30.08.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 47
आरबीई सं. 109/2017

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/VII सीपीसी/एएल-1 नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017.

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन - भत्तों को समाप्त करना।

*****

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने सहर्ष निम्नलिखित भत्तों को 1 जुलाई, 2017 से समाप्त करने का निर्णय लिया है:

(i) लेखा स्टॉक सत्यापनकर्ता (एएसवी) भत्ता (लेखा स्टॉक सत्यापनकर्ताओं को अपेंडिक्स IV-ए(आईआरईएम) परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन);
(ii) वाणिज्यिक भत्ता (उद्घोषकों को विशेष भत्ता - ईसीआरसी/वाणिज्यिक लिपिक/टीसी/एएसएमं /एसएम);
(iii) फ्लाइंग स्क्वाड भत्ता (मुख्यालय के फ्लाइंग स्क्वाड में कार्य कर रहे सीटीआई/टीटीई को विशेष भत्ता);
(iv) ट्रैकमैन को रात्रि गश्त भत्ता;
(v) राजधानी भत्ता (राजधानी गाड़ियों के गाड़ी अधीक्षक/उप गाड़ी अधीक्षक/ स्टूवर्ड (गाड़ी अधीक्षक) को विशेष भत्ता); और
(vi) सतर्कता भत्ता (क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में कार्य कर रहे सतर्कता निरीक्षकों को विशेष भत्ता)।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

3. कृपया पावती दें।

(अनिल कुमार)
उप-निदेशक/ई (पी एंड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एवं ए)I-2017/VII सीपीसी/एएल-1 नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें